राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/बो. मी.–235.6/2018/1411 दिनांकः–21/3/18

कार्यालय आदेश

मण्डल की 235वीं बैठक दिनांक 08.02.18 के कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 235.6 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। जिसमें यह तथ्य सामने आया कि मण्डल की सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ वर्तमान लागत बाजार मूल्य से अधिक आ रही है, जिसके कारण सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है एवं सम्पत्तियाँ क्षतिग्रस्त एवं अनाधिकृत कब्जे हो रहे है।

अतः उक्त के संबंध में निर्णय लिया गया कि मण्डल की अनिस्तारित सम्पतियों के वर्तमान मूल्य तथा बाजार मूल्य का तुलनात्मक विस्तृत विश्लेषण कर व्यवहारिक बेचान मूल्य प्रस्तावित करने हेतु समिति का गठन किया जाये। निर्णयानुसार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1. मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय) – संयोजक
2. सचिव – सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी – सदस्य
4. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक – सदस्य

उक्त समिति अनिस्तारित सम्पत्तियों से सम्बन्धित (विशेष रूप से बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या 235.14,235.16,235.17) प्रकरणों में अपना प्रतिवेदन निर्णयार्थ अद्योहस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी। प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित संशोधित दरों का अनुमोदन सक्षम स्तर से होने पर ही कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ0 पी0बी0 यशवन्त)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव– अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम्/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत–....................... ।
7. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड................, रा0आ0म0.................. ।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सम्बन्धित पत्रावलियां/रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक